उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग-2
संख्या: 30 /2016/9/5/35-आ-2/2007-69
लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किये जाने विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या:9/5/35-आ-2/2007-69 दिनांक 11 जून,2013 में आंशिक संशोधन करते हुए एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा-4 की उपधारा (4) के खण्ड (क) के अधीन जनपद हापुड़ में श्री मनोज कुमार पाण्डेय के स्थान पर मंत्रि-मण्डल के सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा को जिला योजना समिति के सदस्य के रूप में, जो समिति के अध्यक्ष होंगे, नाम-निर्दिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कृपया उपरोकतानुसार सम्बंधित जनपद में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अरुण सिंघल
प्रमुख सचिव, नियोजन।

संख्या: 30/2016/9/5(1)/35-आ-2/2007-69 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मा. मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण के निजी सचिव को मा. मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- मा. मुख्य मंत्री जी के निजी सचिव।
3- मा. उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के निजी सचिव।
4- मुख्य सचिव के निजी सचिव।
5- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, मुख्य मंत्री।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- प्रमुख सचिव, विधान परिषद।
8- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव।
9- समस्त विभागाध्यक्ष।
10-समस्त मण्डलायुक्त।
11-समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी।
12-संसदीय कार्य अनुभाग-1/2 ।
13-गोपन अनुभाग-1 ।
14-नियोजन विभाग तथा राज्य योजना आयोग के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग ।
15-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव, नियोजन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in